राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल

क्रमांकः राराविमं/कार्मिक/प्रे. 4939 जयपुर, दिनांकः 4.12.96

सुरक्षा- निर्देश

प्रायः यह देखने में आया है कि तकनीकी कामगार विधुत लाईनों व उपकरणों पर कार्य करते समय कई प्रकार की असावधानियां बरतते हैं, जिस कारण अक्सर विधुत दुर्घटनाएं धटित होती रहती है, अतः इस प्रकार की विधुत दुर्धटनाओं की रोक-थाम हेतु, विधुत लाईनों व उपकरणों पर कार्य करने वाले कामगारों व पर्यवेक्षकों के मार्गदर्शनार्थ निम्न दिशा-निर्देश जारी किये जाते हैं :-

कामगारों हेतु दिशा-निर्देश :-

१. विधुत लाईनों व उपकरणों पर कार्य करते समय प्रत्येक कामगार अपने अधिकारियों द्वारा दिये गये दिशा-निर्देशों का पूर्णतया पालन करेंगें । यदि कोई दिशा-निर्देश पूरी तरह समझ में नहीं आया है तो वे अपने अधिकारी से पुनः पूछकर स्पष्ट दिशा-निर्देश प्राप्त करेंगे।
२. कामगारों द्वारा लाईन पर काम शुरु करने से पहले यह अवश्य देख लिया जाये कि लाईन बन्द है। जिस सैक्सन पर कार्य करना है उसे दोनो तरफ से अर्थ करने के बाद ही काम शुरु करें।
३. लाईन पर चढते समय सुरक्षा उपकरण (सेफटी बेल्ट आदि) साथ में अवश्य रखें व उन्हे काम में लें।
४. चालू एल.टी. लाईन पर काम करते समय इन्सूलेटेड प्लायर, रबड के दस्ताने और सेफटी बेल्ट जरुर काम में लें। रोड लाईट फेज को भी चालू मानकर ही काम करें।
५. कामगार काम करते वक्त हाथ में अगूंठी नहीं पहनें । बाल लम्बे रख रखे हो तो उनको कैप से ढकें और ढीले-ढाले कपडे नहीं पहने।
६. हर कामगार लाईन पर काम करते समय अपने सर पर सख्त प्लास्टिक का टोपा पहनें रखें।
७. लाईन पर कार्य करने से पूर्व लाईन को अर्थ करना ना भूलें तथा यह जांच ले कि लाईन सही प्रकार से अर्थ हुई है।
८. जल्दबाजी में कार्य न करें तथा अनावश्यक हौशियारी न दिखावें।
९. जी.ओ.(इन्स्यूलेटर) काटने के पश्चात यह जांच कर लें के इसकी सभी ब्लेडें काटी जा चुकी हैं या नहीं !
१०. कार्य करते समय हंसी-मजाक नहीं करें।
११. काम के समय अन्यत्र ध्यान नहीं करें।
१२. हर वोल्टेज को खतरनाक समझना चाहिये।
१३. केवल अधिकृत श्रमिक ही लाईन का कार्य करें।
१४. खम्भें पर कार्य करते समय यह देखें कि कोई नीचे नहीं खडा है।
१५. रबड के दस्ताने पहनकर कार्य करें।
१६. खम्भे पर सीढी की मदद से चढें तथा सेफटी बेल्ट लगाकर खम्भे से बांधकर अपनी बैठक बना लें।

पर्यवेक्षकों हेतु दिशा-निर्देश :-

पर्यवेक्षक यह सुनिश्चित कर लें कि:-

१. उनके अधीनस्थ श्रमिकों/कामगारों के पास आवश्यक सुरक्षा उपकरण है तथा वे उन्हे काम में लेना जानते हैं। यदि नहीं जानते हों तो उन्हे जरुरी ट्रेनिंग अवश्य दें।
२. पर्यवेक्षक यह भी देखेगें कि उनके अधीनस्थ कामगारों द्वारा कार्य करते समय सभी आवश्यक सावधानिंया बरती जा रही है तथा सुरक्षा उपकरण काम में लिये जा रहे हैं।
३. यदि ३३ के.वी.अथवा ११ के.वी. लाईन पर कार्य करना हो तो सम्बन्धित जी.एस.एस. से शट-डाउन लें और 'परमिट टु वर्क' अवश्य प्राप्त करें।
४. कामगारों को लाईन पर काम करने के लिये लगाने का रिकार्ड मेन्टेन किया जावे।
५. कार्य पूरा होने पर लाईन को चार्ज करवाने से पहले किये हुये काम को सावधानी से चैक कर लें।
६. अधिशासी अभियन्ता अपने क्षेत्र के सभी सम्बन्धित श्रमिकों / कामगारों के पास आवश्यक सुरक्षा उपकरण उपलब्ध हैं, सुनिश्चित करें तथा हर तिमाही यह जांच करें कि उपलब्ध सुरक्षा उपकरण कार्य के लायक है या नहीं। जो काम में लेने लायक नहीं है उनको तुरन्त बदला जाए।
७. अधिक्षण अभियन्ता अपने वृत क्षेत्र में आवश्यक सुरक्षा उपकरण एक महीने के अन्दर-अन्दर जंहा नहीं है, उपलब्ध कराएं।
८. जो कामगार / श्रमिक लाईन मेन्टिनेंस का काम करते हैं उनके नाम से आवश्यक सुरक्षा उपकरण वितरित किए जावें।
६. आवश्यक सुरक्षा उपकरण रखने का सुव्यवस्थित एवं निश्चित स्थान प्रत्येक श्रमिक / कामगार को उपलब्ध कराया जाए जिससे वह दिए गए उपकरण वहां रख सके और घर भूल जाने का बहाना नहीं कर सके।
१०. वास्तविक सुरक्षा ट्रेनिंग फील्ड में दी जावे।
११. श्रमिक / कामगार किस पोजीशन में बैठकर या खडा होकर काम करे इसकी भी ट्रेनिंग दी जावे।
१२. आवश्यक सुरक्षा उपकरण की कम से कम आवश्यकता की सूची बनाई जावे तथा जिस वोल्टेज लेवल का उपकरण खरीदा है उस लेवल पर काम करने लायक है या नहीं, इसकी भी हर तिमाही जांच की जावे
१३. सब-स्टेशन जंहा से कामगार मेन्टिनेंस या फॉल्ट निकालने के लिए जाता है वहां पर मोटे-मोटे अक्षरों में लिखा जावे कि सुरक्षा उपकरण साथ लेकर ही कार्य पर जावें। 'दूसरा स्लोगन' कार्य पर रवाना होने से पहले लाईन बन्द कर दी गई या नहीं, सुनिश्चित करें।'
१४. श्रमिकों / कामगारों को कार्य के समय उपयोग हेतु सख्त प्लास्टिक का टोपा उपलब्ध कराया जावे।

विधुत लाईनों व उपकरणों पर कार्यरत प्रत्येक श्रमिक / कामगार व पर्यवेक्षक से यह अपेक्षा की जाती है कि वे उक्त दिशा-निर्देशों/ सावधानियों का पूरी तरह पालन करें। यदि कोई श्रमिक / कामगार व पर्यवेक्षक उपरोक्त दिशा-निर्देशों की अवहेलना करता हुआ पाया गया तो उसके विरुद्ध कठोर अनुशासनिक कार्यवाही